

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्राकृतिक-अ

FZ 680395

हम मुजम्मिल हुसैन एवं अजमल हुसैन क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मोहम्मद याकूब एजुकेशनल सोसाइटी शिवगढ़ बिन्दागंज रानीगंज प्रतापगढ़ राधेधपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा एम० वाई० इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी शिवगढ़ रानीगंज प्रतापगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम शिवगढ़ में गाटा संख्या 863क/0.117हे०, 864ख/0.117हे०, 865ख/0.145हे०, 866ख/0.051हे०, 867ख/0.076हे०, 868ख/0.044हे०, 869ख/0.101हे०, 870ख/0.079हे०, 871ख/0.082हे० व 872ड/0.051हे० यानी कुल रकबा 0.883हे० तथा 860य/0.354हे० में 1/2 भाग रकबा 0.177हे० = 11किता रकबा 1.040हे० यानी 10400 वर्गमीटर (कुल रकबा 2.569 एकड़) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 863क/0.117हे०, 864ख/0.117हे०, 865ख/0.145हे०, 866ख/0.051हे०, 867ख/0.076हे०, 868ख/0.044हे०, 869ख/0.101हे०, 870ख/0.079हे०, 871ख/0.082हे० व 872ड/0.051हे० यानी कुल रकबा 0.883हे० तथा 860य/0.354हे० में 1/2 भाग रकबा 0.177हे० = 11किता रकबा 1.040हे० यानी 10400 वर्गमीटर (कुल रकबा 2.569 एकड़) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन

P.T.O.



मुजम्मिल हुसैन
CHAIRMAN
M.Y. Institute of Pharmacy
Shivgah, Bindaganj-Pratapgarh U.P.

अजमल हुसैन
MANAGER
M.Y. Institute of Pharmacy
Shivgah, Bindaganj-Pratapgarh U.P.

फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 29.08.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित भवनों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्रमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में पशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विरविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/नहाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टॉक की तैयारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि भरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय।
13. अंतिम होगा एवं भुझे मान्य होगा। इस हेतु भरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना भरे की निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अगिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो भरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।




ह० सचिव
MANAGER
M.Y. Institute of Pharmacy
Shangli, Rangari-Pratapgarh U.P.


ह० अध्यक्ष
CHAIRMAN
M.Y. Institute of Pharmacy
Shangli, Rangari-Pratapgarh U.P.